UPSI010060012025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस०एक्ट/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3, सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी–(अवनीश कुमार–I), (एच०जे०एस०) UP02737

Misc. Civil Cases/159/2025

CIS NO. 189/2025

श्रीमती प्रीति मोहन कौर आयु 58 वर्ष पत्नी स्व० श्री अजीत सिंह निवासी मो० 46 बिजयलक्ष्मी नगर सीतापुर परगना खैराबाद तहसील व जिला सीतापुर।

.....**प्रार्थिनी।**

बनाम

राजबीर सिंह आयु 27 वर्ष पुत्र स्व० श्री अजीत सिंह निवासी मो० 46 बिजयलक्ष्मी नगर सीतापुर परगना खैराबाद तहसील व जिला सीतापुर।

.....**विपक्षी।**

अंतर्गत धारा–50 मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987।

दिनांक– 15.05.2026

1– आवेदिका/प्रार्थिनी श्रीमती प्रीति कौर द्वारा यह आवेदनपत्र मानसिक रोगी के न्यायिक समीक्षण एवं संरक्षण की नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदनपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थिनी मानसिक अस्वस्थ्य हरप्रीत सिंह वर्ष पुत्र स्व० श्री अजीत सिंह निवासी मो० 46 बिजयलक्ष्मी नगर सीतापुर परगना खैराबाद तहसील व जिला सीतापुर की सगी माता है तथा उपरोक्त हरप्रीत सिह प्रार्थिनी के साथ रहता चला आ रहा है तथा प्रार्थिनी के पति व हरप्रीत सिह के पिता का देहान्त दिनॉक 26/01/2024 को हो गया था जिसके बाद से प्रार्थिनी ही दवा इलाज खाना पानी के साथ साथ हरप्रीत सिंह की देख भाल करती चली आ रही है। हरप्रीत सिंह का जन्म दिनाँक 04/11/1990 को हुआ था जन्म के कुछ माह बाद हरप्रीत सिंह मस्तिस्क ज्वर से पीड़ित हो गया जिससे मानसिक अयोग्यता मे चला गया जिसका काफी इलाज चला परन्तु वह मानसिक रुप से ठीक नहीं हो सका तथा मानसिक विकार रुक जाने के कारण उसका शरीर तो बालिग हो गया परन्तु उसके सारे क्रियाकलाप एक बच्चे की तरह ही है तथा स्वयं सोचने विचारने की शक्ति भी नही रह गयी है। वर्ष 2004 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर के द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण के उपरान्त हरप्रीत सिंह को 100 प्रतिशत मानसिक दिव्यांगता पाये जाने पर उसे मानसिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिनांक 14/10/2004 क्रम संख्या 5289 जारी किया गया जिसकी प्रति वादपत्र के साथ संलग्न की जा रही है। मानसिक दिव्यांग हरप्रीत सिंह के पिता स्व० श्री अजीत सिंह के द्वारा अपने नाम से एक प्लाट गुरुनानक कालोनी में क्रय किया गया था जिसका रकबा 2200 वर्ग फिट है। विपक्षी राजबीर सिह मानसिक दिव्यांग हरप्रीत सिंह का सगा भाई है। मानसिक

दिव्यांग हरप्रीत सिंह के प्रार्थिनी व विपक्षी के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक व नेचुरल वारिस जीवित नहीं है। जिसके सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी सीतापुर के द्वारा पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र दिनांकित 30/03/2024 संख्या 74/2024 जारी किया गया जिसकी प्रति वादपत्र के साथ संलग्न की जा रही है। पारिवारि सम्पत्ति के नाम एक पुस्तैनी मकान स्थिति मो० 46 बिजयलक्ष्मी नगर सीतापुर परगना खैराबाद तहसील व जिला सीतापुर व एक प्लाट गुरुनानक कालोनी में है जिसका रकबा 2024 वर्ग फिट है जिसमे प्रार्थिनी तथा मानसिक दिव्यांग हरप्रीत सिंह व विपक्षी राजबीर सिंह का समान रुप से 1/3 अश है जिसका कोई विवाद नहीं है। मानसिक दिव्यांग हरप्रीत सिंह व प्रार्थिनी साधारण रुप से पुस्तैनी मकान स्थिति मो० 46 बिजयलक्ष्मी नगर सीतापुर परगना खैराबाद तहसील व जिला सीतापुर में निवास करते चले आ रहे है। मानसिक दिव्यांग हरप्रीत सिंह का हित प्रार्थिनी के पास सुरक्षित है। प्राथिनी उसकी सगी माता है तथा वर्तमान में उसकी देखभाल करती चली आ रही है। प्रार्थिनी का हित मानसिक दिव्यांग हरप्रीत सिंह के प्रतिकूल नहीं है जिस कारण से प्रार्थिनी उपरोक्त मानसिक दिव्यांग हरप्रीत सिंह का संरक्षक नियुक्त किये जाने योग्य है और इस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। मानसिक दिव्यांग हरप्रीत सिंह की देख रेख व सुगम जीवन यापन व प्लाट व मकान आदि सम्पत्ति का प्रबन्ध किये जाने हेतु संरक्षक प्रमाण पत्र की अवश्यकता उत्पन्न हुई तथा सदैव विद्यमान है। वाद का आर्थिक मूल्यांकन वास्ते क्षेत्रधिकार धारा में वर्णित प्लाट व मकान की बाजारु मालियत अंकन 1500000 रूपये मानसिक दिव्यांग हरप्रीत सिंह का 1/3 अंश 500000 निश्चित किया जाता है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है। अतः याचना की गयी है कि मानसिक दिव्यांग हरप्रीत सिंह उपरोक्त की जाँच कराकर प्रार्थिनी को संरक्षक नियुक्त किये जाने की कृपा करे।

2– प्रार्थिनी/आवेदिका द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र कागज सं०–18 क/1 ता 18 क/2 व जसपाल सिंह का साक्ष्य शपथपत्र कागज सं०–19 क/1 प्रस्तुत किया है।

3– प्रार्थी की ओर से सूची 6 ग 1 से एक किता विकलांगता प्रमाण पत्र हरप्रीत सिंह प्रतिलिपि कागज सं०–7 ग 1, एक किता आधार कार्ड हरप्रीत सिंह प्रतिलिपि कागज सं०–11 ग 1/3, एक किता आधार कार्ड प्रीति मोहन कौर प्रतिलिपि कागज सं०– 11 ग 1, एक किता पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि कागज सं०–8 ग 1, एक किता मृत्यु प्रमाण पत्र अजीत सिंह आनन्द प्रतिलिपि कागज सं०–9 ग 1, एक किता बैनामा प्रतिलिपि दिनांकित 26.03.2003 कागज सं०–10 ग 1 ता 10 ग 9 व सूची 20 ग 1 से एक किता असल परिचय पत्र विकलांगता द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कागज सं०–21 ग, एक किता असल विकलांगता प्रमाण पत्र जारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कागज सं०–21 ग/1 व सूची 23 ग से एक किता मेडिकल रिपोर्ट के०जी०एम०यू० लखनऊ कागज सं०–24 ग 1 प्रस्तुत की गयी है।

4– विपक्षी राजवीर सिंह की ओर से अनापत्ति शपथपत्र कागज सं०–14 ग 2/1 प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि शपथकर्ता मानसिक अवस्था हरप्रीत सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी मोहल्ला

विजयलक्ष्मी नगर सीतापुर, परगना खैराबाद, तहसील व जिला सीतापुर का सगा भाई है तथा हरप्रीत सिंह शपथपकर्ता की मां के साथ निवास करता चला आ रहा है तथा शपथकर्ता के पिता की मृत्यु दिनांक 26.01.2024 को हो चुकी है। शपथकर्ता के भाई हरप्रीत सिंह का जन्म 04.11.1990 को हुआ था। जन्म के कुछ माह बाद हरप्रीत सिंह मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित हो जाने के कारण मानसिक अयोग्यता आ गयी तथा सारे क्रियाकलाप बच्चों जैसी करता है तथा सोचने विचारने की शक्ति भी नहीं है। शपथकर्ता के पिता ने गुरुनानक कालोनी में 2024 वर्ग फिट का प्लाट खरीदा था जिसमें शपथकर्ता व हरप्रीत सिंह का 1/3 अंश है। मानसिक दिव्यांग हरप्रीत सिंह की सुगम देखभाल व प्लाट मकान आदि का प्रबन्ध किये जाने हेतु संरक्षक प्रमाण पत्र शपथकर्ता की मां प्रीति मोहन कौर पत्नी स्व० श्री अजीत सिंह के पक्ष में जारी किये जाने में शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं हैं।

5– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

धारा–50 मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 यह प्रावधानित करती है कि–

50. न्यायिक समीक्षण के लिए आवेदन (1) जहां किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति है, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि मानसिक रूप से बीमार है, वहां उसकी मानसिक दशा के बारे में समीक्षण करने के लिए आवेदन या तो–

(क) उसका कोई नातेदार, या

(ब) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 93) के अधीन नियुक्त लोक रक्षक, या

(ग) उस राज्य का महाधिवक्ता, जिस राज्य में वह व्यक्ति जिसके बारे में वह अभिकथन है कि वह बीमार है, निवास करता है, या

(घ) जिस व्यक्ति के बारे में यह अभिकथन है कि वह मानसिक रूप से बीमार है, उसकी संपत्ति में जहां भूमि है या भूमि में उसका हित है या जहां संपत्ति या उसका कोई भाग इस प्रकार का है कि उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित प्रतिपाल्य–अधिकरण को उसे प्रबंध के लिए विधिपूर्वक सौंपा जा सकता है, यहां उस जिले का कलेक्टर, जिसमें ऐसी भूमि स्थित है,

उस जिला न्यायालय को कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह व्यक्ति निवास करता है जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह मानसिक रूप से बीमार है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर जिला न्यायालय उस व्यक्ति पर, जिसके बारे में यह अभिकयन है कि वह मानसिक रूप से बीमार है, व्यक्तिगत तामील द्वारा या तामील की ऐसी अन्य रीति से, जो वह ठीक समझे, यह सूचना तामील करेगा कि वह ऐसे स्थान और समय पर हाजिर हो, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा वैसी ही रीति ने, उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में वह व्यक्ति है, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह मानसिक रूप से बीमार है, यह सूचना तामील करेगा कि वह उस व्यक्ति को उक्त स्थान और उक्त समय पर पेश करे जिससे कि उसकी परीक्षा जिला न्यायालय या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति कर सके जिसमे जिला न्यायालय मानसिक रूप में बीमार व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट मांग सकेगा।

परंतु यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह मानसिक रूप से बीमार है ऐसी स्त्री है, जो उस क्षेत्र में, जहां वह निवास करती है, प्रचलित रूढ़ि के अनुसार या जो उसका धर्म है, उस धर्म के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, तो जिला न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में उपबंधित रूप में कमीशन निकाल कर उसकी परीक्षा करवा करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्रति आवेदक पर और जिस व्यक्ति के बारे में यह अभिकथन है कि वह मानसिक रूप में बीमार है, उसके नातेदार पर या ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी जो जिला न्यायालय की राय में ऐसा व्यक्ति है जिसे जिला न्यायालय द्वारा किए जाने वाले भयायिक समीक्षण की सूचना मिले।

(4) ऐसे समीक्षण के प्रयोजन के लिए, जिसके लिए आवेदन किया गया है, जिला न्यायालय दो या अधिक व्यक्तियों को असेसरों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

6– पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि मानसिक रोगी हरप्रीत सिंह के पिता स्व0 श्री अजीत सिंह, जिनकी मृत्यु दिनांक 26.01.2024 को हो चुकी है तथा मानसिक रोगी अपनी सगी माता श्रीमती प्रीति मोहन कौर के साथ रहता है जिसके द्वारा मानसिक रोगी हरप्रीत सिंह के 100 प्रतिशत मानसिक विकलांग होने का कथन किया गया है। मानसिक रोगी हरप्रीत सिंह को वर्ष 2004 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर के द्वारा भी उसका चिकित्सीय परीक्षण के उपरान्त हरप्रीत सिंह को 90 प्रतिशत मानसिक दिव्यांगता पाये जाने पर प्रमाण पत्र दिनांक 14.10.2004 को जारी किया गया जिसकी प्रति संलग्न है। मानसिक रोगी हरप्रीत सिंह का एक अन्य भाई राजवीर सिंह जो कि विपक्षी है। आवेदिका श्रीमती प्रीति मोहन कौर द्वारा अपने मानसिक दिव्यांग बेटे हरप्रीत सिंह की देख रेख व सुगम जीवन यापन हेतु प्रार्थिनी को उसके मानसिक रोगी हरप्रीत सिंह का संरक्षक नियुक्त किये जाने की याचना की गयी है। विपक्षी राजवीर सिंह द्वारा आवेदिका श्रीमती प्रीति मोहन कौर को हरप्रीत सिंह (मानसिक रोगी) का संरक्षक नियुक्त किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0–8ग 1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्रीमती प्रीति मोहन कौर पत्नी स्व० अजीत सिंह आनन्द व प्रार्थी (मानसिक रोगी) हरप्रीत सिंह व विपक्षी राजवीर सिंह पुत्रगण स्व० अजीत सिंह आनन्द मृतक के वारिसान के रूप में नियुक्त हैं। पत्रावली पर कागज सं0–21ग मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध है जिसमें हरप्रीत सिंह को 90 प्रतिशत विकलांग होना दर्शाया गया है तथा विकलांगता का प्रकार मस्तिष्क पक्षाघात बताया गया है। दिनांक 04.02.2026 को उक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा श्रीमान मुख्य चिकित्साधिकारी सीतापुर द्वारा हरप्रीत सिंह के मानसिक अस्वस्थता की जांच कर स्पष्ट जांच आख्या आहूत की गयी थी, जिस सम्बन्ध में पत्रावली पर के०जी०एम०यू० लखनऊ की हरप्रीत सिंह मेडिकल रिपोर्ट कागज सं०–24ग संलग्न की गयी है जिसमें यह अंकित है कि "Refer to Psychology for IQ assessment & Disability, Disability percentage= 90%). आवेदक के आवेदनपत्र पर विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अतिरिक्त किसी न्यायिक समीक्षण की

आवश्यकता नहीं है। आवेदक का प्रार्थनापत्र 3 क बावत नियुक्त किये जाने संरक्षक स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका श्रीमती प्रीति मोहन कौर का प्रार्थनापत्र 3 क बावत नियुक्त किये जाने संरक्षक हरप्रीत सिंह (मानसिक रोगी) दि मेन्टल हेल्थ/1987 की धारा–50 स्वीकार किया जाता है।

आवेदिका श्रीमती प्रीति मोहन कौर को हरप्रीत सिंह (मानसिक रोगी) का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। आवेदक इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करेगी कि–

1– आवेदिका, हरप्रीत सिंह (मानसिक रोगी) के खाने पीने, इलाज एवं रहने की उचित व्यवस्था करेगी।

2– मानसिक रोगी हरप्रीत सिंह के हिस्से की सम्पत्ति आवेदिका बिना न्यायालय की अनुमति के विक्रय नहीं करेगी तथा उसके हिस्से की सम्पत्ति से यदि कुछ आमदनी क्रय हो रही है तो वह उसके भरण–पोषण व इलाज में व्यय करेगी।

तदनुसार आवेदनपत्र 3 क निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 15.05.2026

(अवनीश कुमार–I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–3/एन०डी०पी०एस०एक्ट,
सीतापुर।
JO CODE– UP2737

श्रेया/–

Awanish Kumar
Digitally signed by Awanish Kumar
Date: 2026.05.21 16:33:52 +05'30'